मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 375 / सी0आर0 309/1(3)/ भोपाल, दिनांक 30 जून, 72

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना —— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 ।

राज्य सतर्कता आयोग ने शासन का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकृष्ट किया है जिसमें कुछ शासकीय सेवकों को उनके निकटतम संबंधियों जैसे पिता, माता, भ्राता से एक बड़ी रकम उपहार के रूप में प्राप्त हुई किन्तु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 के उपनियम (4)के अनुसार उपहार प्राप्त करने के पूर्व उन व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की । उन शासकीय सेवकों ने यह स्पष्टीकरण दिया कि आचरण नियम 14 की व्याख्या के अनुसार यदि शासकीय सेवक अपने निकटतम संबंधियों से उपहार के रूप में किसी भी राशि प्राप्त करे तो वह नियम 14(4) की परिधि में नहीं आता । शासकीय सेवकों का इस प्रकार का अनुमान सही नहीं है । सही स्थिति यह है कि नियम 14 की व्याख्या में " आर्थिक प्रलाभ " का जो वर्णन है उसकी सीमा उतनी ही होगी जितनी कि नियम 14 के उपनियम (4) में बताई गई है । उस सीमा से अधिक आर्थिक प्रलाभ प्राप्त करने के पहले उन्हें नियमानुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें । भविष्य में उक्त नियम के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हनुमन्त राव

(हनुमन्त राव)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

====2==